



निगरानी प्रकरण क्रं. 1403PBR/2007

निशाउ-उमिउ 23/10/2012

उमिउ-उमिउ 27/11/2012

माननीय राजस्व न्यायालय, ग्वालियर कैंम्प इन्दौर

- 25/10/12*
C.F. 13-12-12
1. परमानन्द पिता बाबु माली
 2. रेवा राम पिता बाबु माली
 3. दरिया पिता बाबु माली
 4. भेरु पिता बाबु माली

सभी निवासी - बिटनेरा तह. भिकनगांव,

जिला खरगोन (म.प्र.) प्रार्थीगण/निगरानीकर्ता

Refr 4133 - PBR/12

विरुद्ध

गीता बाई पति लालु माली

निवासी - बिटनेरा तह. भिकनगांव,

जिला खरगोन (म.प्र.)

रिस्पान्डन्ट

विक्रम
4-12-12
निवेदन पत्र प्रकरण ओ पुनः रजिस्ट्रि पर निवेदन था। वरु
निगरानीकर्ता / प्रार्थीगण तर्फे निवेदन है कि :-

श्री डी-रुसपेयल
अभिभाषक द्वारा
आज दिनांक 27-11-12
को इन्दौर कैंम्प पर
उत्तुत।

गुण
27-11-12

यह कि, मुल प्रकरण दिनांक 23.10.2012 को माननीय न्यायालय के समक्ष रेकार्ड एवं बहस हेतु नियत था, इस कारण पक्षकारगण माननीय न्यायलय के समक्ष उपस्थित नहीं होते है एवं त्रुटिवश अभिभाषक भी उपस्थित नहीं हो पाने की वजह से उक्त प्रकरण दिनांक 23.10.2012 को अदम पैरवी में खारीज हो गया है।

अ/म

Resto ~~10~~ - 4133-PBR/12 (रायसेक)

3.3.2016

आवेदक की ओर से कोई भी उपाखण नहीं। आवेदक द्वारा उपरोक्त आदेशिका दिनांक 17.12.12 के फावर में 1000/- रुपये कास्ट अमा नहीं की गई है, इसविषे भूच प्रमाण पुनःस्थापित नहीं किया जा सका है। इस प्रतीत होता है कि आवेदक प्रमाण के निराकरण में बाधे नहीं रखता है। अतः यह प्रमाण भी निरस्त किया जाता है।

अ/स/

अ/स/